

राजस्थान सरकार
राजत्व विभाग (क)

विज्ञापन

जयपुर, १५ दिसेंबर १९५५

वंश्या २४६५८ दृष्टि १५/१३४/५५ तूंकि निम्नलिखित मनुसूची में दिलाई पर्वत-भूमि तथा बंजर भूमि
सरकार की समीक्षा है यथा उनमें सरकार के स्वतंत्र है यथा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उत्तर प्रदेश की
विवरणी (Entitled) है;

ओर तूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को, राजस्थान फोरेस्ट एकट, १९५३ की धारा २६, उप-धारा
(१) के ग्रन्तीर्थ संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

ओर तूंकि पूर्वोक्त भूमि में यथा उस पर सरकारी ग्रन्ती वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वल्प अभी तक किसी
भी प्रकार से लेखदाता नहीं हिये गये हैं;

ओर तूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि यथा बंजर भूमि में यथा उन पर सरकारी या
वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वल्प के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखदाता किया जाना आवश्यक है, परन्तु
तूंकि उन काव्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस दौर में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की ग्रांडिंग है;

इसलिये शब्द राजस्थान फोरेस्ट एकट, १९५३ (१९५२ का एकट संख्या १३) की धारा २६ की उप-धारा (३) के द्वारा
उन नियमों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर/असिस्टेंट फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को
पूर्वोक्त वन-भूमि यथा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखदाता करने हेतु नियुक्त
करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेख, यथासाध उसी प्रत्याली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एकट की धारा ६, ७, ८,
१०, ११ (१), १२, १३, १४, १७, १८ तथा १९ में प्राविहित है;

ओर तूंकि एकट की धारा २६ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्वर
ग्रन्तीरण में ओर सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित हाने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञापन
द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्गविशेष के वर्तमान
अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी भीर न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

ओर सरकार उक्त एकट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्वर ग्रन्तीरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त
संरक्षित वन के बैंक वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राजन्य में इस विज्ञापन के प्रकाशन की
तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं ओर पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना यथा जूनो दा कायला
जलाया जाना यथा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना यथा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया
जाना या हटाया जाना ओर उक्त वन में किसी भूमि का कृषि यथा भवन निर्माण यथा पशु-पालन यथा किसी भी अन्य
प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना यथा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम मनुसूची (वन-भूमि ओर बंजर भूमि)

द्वितीय मनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की पाइल-से,

दसा. पी. छ. कोटे

शासन सचिव।

शुद्ध प्रतिलिपि

प्रथम मनुसूची

सं०	सदृश्य नाम वृक्षों का नाम जिला जिला संघर्ष	नाम जिला	सीमा	विवरण	
१	२	३	४	५	६
११	पापता देवी	झानगढ़	उत्तर-सदृश्य देवी झानगढ़ पुरा दाक्षिण्य-मंडावर, पुनागढ़, पूर्व-पुरा पूर्व-साँगोड़िया उजाड़ जानी पश्चिम-सदृश्य लालगढ़ जानी	पश्चिम-सदृश्य लालगढ़ जानी	

नोट:- राजस्थान राजन्य दिनांक २-५-५६ के माग्न (२७) में पृष्ठ संख्या १३५ पर प्रकाशित हुआ।

रा० मु० उ० १००६-११-६६-३,००० फा०